न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 371 सन 2018
अनवान :–

1. बशीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर
2. सुनीता पुत्री ख्यालीराम जात जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 23.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 103 के खसरा न0 87 की 2.02 , खसरा न0 88 की 18.14 बीधा , खसरा न0 98 की 5.12 बीधा खसरा 418 की 20.02 बीधा, खसरा न0 435 की 29.14 बीधा , खसरा न0 461/2 की 40.05 बीधा कुल 116.09 बीधा भूमि जिसके गोरधन पुत्र दीपराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थें।

वादी के दादा गोरधन पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी कानसर के फोत होने पर उनके पांच पुत्रों पर औद हुई जिसमें से हेतुराम का देहान्त हो गया उसके हिससे की भूमि उसके पत्नि एव पुत्र पर औद हुई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 567/103 के खसरा न0 87 की 0.5310हैक खसरा न0 4.7300हैक , खसरा न0 89 की 1.4160हैक , खसरा न0 418 की 5.0830हैक खसरा न0 435 की 7.5120हैक , खसरा न0 461/2 की 10.1800हैक कुल 29.5420हैक भूमि सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा भूमि आई ।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का जन्म से हक हिस्सा है प्रतिवादीया संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिय वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1, 2 स्वय उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी में उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया किया गया।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसर वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गोरधन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसर पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 567/103 की कुल 29.452हेक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.10.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official